अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रूपचंद बनाम सज्जनसिंह वगैरह ।

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या: 219/2023 (अजमेर)

	श्री मनीष कुमार छीपा	
03.07.2023	रूपचंद बनाम सज्जनसिंह वगैरह यह अपील श्री मनीष कुमार छीपा एडवोकेट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या ...../..... में पारित आदेश दिनांक 01.11.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 04.07.2023 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
04.07.2023	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 06.07.2023 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
06.07.2023	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनिमय का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट के प्राथ्रना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थी अपीलांट के अभिभाषक की अन्तरिम स्थगन पर बहस सुने जाने के उपरान्त भी अन्तरिम स्थगन आदेश बाबत काई आदेश पारित ना कर केवल मात्र प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी करने के आक्षेपित आदेश पारित किये है एवं प्रकरण में कोई प्रभावी कार्यवाही किए बिना लगातार तारीख पेशियां तब्दी की जा रही हे, जिसकी आड में अप्रार्थी बिना विधिक विभान कराए वादग्रस्त आराजीयात को अन्य व्यक्तियों को बेचान करने एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल मजाहमत उत्पन्न करने पर आमादा है, जिस बाबत प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.05.2023 को अभिभाषक से जाकर सम्पर्क किया गया तथा उक्त स्थिति से अवगत कराए जाने पर अभिभाषक द्वारा प्रार्थी को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की कानूनी सलाह प्रदान की। अभिभाषक की कानूनी सलाह के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रकरण की प्रमाणित प्रतियों हेतु	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रूपचंद बनाम साज्जनसिंह वगैरह ।

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्याः 219/2023 (अजमेर)

दिनांक 25.05.2023 को ही आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 08.06.2023 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुई। प्रमाणित प्रतियां व आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर प्रार्थी दिनांक 30.06.2023 को अजमेर आया तथा अभिभाषक से सम्पर्क किया, जिनके द्वारा उक्त अपील तैयार करवाकर बिना किसी देरी से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुती में जानबूझ कर कोई देरी नही की गई है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुती में हुई देरी जानकारी के अभाव में हुई सद्भाविक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किए जाने बाबत आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कारण संतोषप्रद एवं सद्भाविक होने से प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र स्थगन में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अभिभाषक की अन्तरिम स्थगन बाबत बहस सुनने के उपरान्त भी अन्तरिम स्थगन पर कोई ओदश पारित नही किया। जिसकी आड में अप्रार्थी वादग्रस्त आरजीयात को रहन, बय, मुंतकिल करने पर एवं प्रार्थी के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे काश्त में दखल मजामहत उत्पन्न कर प्रार्थी को जबरन बेदखल करने एवं विवादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, अगर अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो गए, तो, प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे कि वे प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलमजाहत उत्पन्न नही करे, विवादित आराजी का रहन, बय, मुंतकिल व खुर्द–बुर्द नही करे एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत आदेश न्यायाहित में पारित फरमावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा प्रकरण संख्या पारित आदेश दिनांक 1.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.11.2022 को प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर वकील, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश दिये है। यदि अपीलांट के हिस्से हक व अधिकार की भूमि में अप्रार्थीगण बाधा उत्पन्न करते है तो प्रथम दृष्टया अपूर्णीय क्षति अपीलांट को ही होनी है। अपीलांट ने यह अपील अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जबकि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की अन्तरिम स्थगन बाबत् चाराजोही करनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं की गई। चुँकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्ययता को मध्यनजर रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में अप्रार्थीगण तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से पूर्ण करवा कर उभयपक्षकारान को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए 60 दिवस मे

राजस्व अपील प्रा. अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रूपचंद बनाम सज्जनसिंह वगैरह ।

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्याः 219/2023 (अजमेर)

आवश्यक रूप से गुणावगुण पर निर्णित करें।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को उभयपक्षकारान को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए 60 दिवस में आवश्यक रूप से निस्तारित करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर